ई सी जी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

परिवीक्षाधीन अधिकरियों की नियुक्ति

(प्रस्तुत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन लिंक ईसीजीसी की वेबसाइट www.ecgc.in पर देखा जा सकता है)

53600-2645(14)-90630-2865(4)-1,02,090 रु के वेतनमान पर ईसीजीसी लिमिटेड में कार्यपालक अधिकारी (स्पेशलिस्ट अधिकारी) के कैडर में परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद के लिए कार्मिकों के चयन हेतु जुलाई 2023 में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अधिकारी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता / मकान लीज प्रतिपूर्ति, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, समाचार पत्र भत्ता, भोजन कूपन, मोबाइल बिलों की प्रतिपूर्ति, मोबाइल हैंडसेट एवं ब्रीफकेस भत्ता, फर्नीचर भत्ता, घरेलू सहायता इत्यादि जैसे भत्ते एवं परिलाभों के लिए भी पात्र हैं। मुंबई में तैनात कार्यपालक अधिकारी (परिवीक्षाधीन अधिकारी) के लिए कंपनी का वर्तमान सी टी सी (कंपनी को लागत) लगभग 16 लाख रु वार्षिक है।

ईसीजीसी लिमिटेड में कार्य करने के लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करना होगा। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं उनके निष्पादन के आधार पर साक्षात्कार में चुने जाने के आधार पर होगा। ऑनलाइन परीक्षा 6 केन्द्रों में, यथा बंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई एवं नई दिल्ली में ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु मुंबई अथवा अन्य केंद्रों पर बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार कॉल लेटर में दी जाएगी। भर्ती, पूर्ण रूप से सरकार की आरक्षण नीति के दिशा निर्देशों के आधार पर की जाएगी।

क) **अनुसूची :** नियुक्ति प्रक्रिया के महत्वपूर्ण गतिविधियों की अनुसूची निम्नानुसार है :

क्रसं	**गतिविधि**	**अनुमानित तारीखें**
1	उम्मीदवारों द्वारा आवेदनों में सुधार / संशोधन सहित ऑनलाइन पंजीकरण	02.05.2023 से 31.05.2023
2	आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार (ऑनलाइन) की अदायगी	02.05.2023 से 31.05.2023

3	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिए प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करना	07.06.2023 से
4	अनुसूचित जाति जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	जून 2023 के तृतीय सप्ताह
5	ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करना	जून 2023 के द्वितीय सप्ताह से
6	ऑनलाइन लिखित परीक्षा	15 जुलाई 2023
7	ऑनलाइन लिखित परीक्षा परिणामों की घोषणा	अगस्त 2023
8	साक्षात्कार	अगस्त/सितंबर 2023

उपरोक्त तिथियों एवं समय को पूरी तरह से अपने विवेकाधिकार से संशोधित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है।

उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ईसीजीसी की वेब साइट www.ecgc.in पर विवरण **तथा अद्यतन जानकारी की जांच करते रहें।**

रिक्तियों की संख्या

रिक्तियों के प्रकार	**अनु जा**	**अनु जन जा**	**अ पि जा**	**आ पि व**	**अनारक्षित**	**कुल**
दिनांक 31.03.2024 तक उत्पन्न होने वाली रिक्तियों* में कंपनी की आवश्यकता के आधार पर आंशिक परिवर्तन होने की संभावना है	02	02	05	02	06	17
कुल	02	02	05	02	06	17

*रिक्तियों की संख्या अनुमानित हैं एवं कंपनी के विवेकाधिकार से उक्त संख्या बदल सकती हैं।

चयनित उम्मीदवारों को किसी भी बदलाव पर विचार करने से पहले प्रधान कार्यालय के संबंधित विभाग में न्यूनतम 10 वर्ष तक कार्य करना होगा। हालाँकि, कंपनी प्रशासनिक कारणों से किसी भी कार्मिक को भारत में किसी भी कार्यालय में स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

बेंचमार्क सहित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु रिक्तियाँ(पी डब्ल्यू बी डी)

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)

शारीरिक रूप से दिव्यांग (शा दि)	नेत्रहीन दिव्यांग (ने ही)	श्रवनहीन दिव्यांग (श्र ही)	चतुर्थ श्रेणी**	कुल
00	00	00	00	00

** (क) से (घ) के बीच विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता(वि शि दि) अथवा एकाधिक दिव्यांगता(ए दि)

दिव्यांग व्यक्ति सहित आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार जिनके लिए कोई आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, वे सामान्य श्रेणी के लिए घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु स्वतंत्र हैं, बशर्ते वे सामान्य श्रेणी के लिए लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
बेंचमार्क सहित दिव्यांग व्यक्तियों (पी डब्ल्यू बी डी) को, यदि चयनित किया जाता है, तो पद के लिए उनकी उपयुक्तता की जांच करने हेतु प्रदर्शन परीक्षण से गुजरना होगा।

ख) **पात्रता मानदंड**

भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे इस विज्ञापन में कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों:

कृपया नोट करें कि इसमें विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड पद हेतु आवेदन के लिए न्यूनतम मानदंड हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्शाये अनुसार उम्मीदवार द्वारा अपनी पहचान तथा पात्रता से संबन्धित श्रेणी, राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि से संबन्धित आवश्यक दस्तावेज़ों की मूल प्रतियाँ एवं स्व-सत्यापित फोटोकॉपी प्रस्तुत करें। कृपया नोट करें कि आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन **मान्य नहीं** है, तथा प्रक्रिया के समय इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अधीन ऑनलाइन आवेदन में दर्शाई श्रेणी के आधार पर ही विचार किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन / भर्ती प्रक्रिया में मात्र भाग लेना तथा ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा / अथवा तत्पश्चात साक्षात्कार तथा / बाद की प्रक्रिया में शामिल होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उम्मीदवार को कंपनी में रोजगार मिल गया है।

I. राष्ट्रियता / नागरिकता: उम्मीदवार को -

(i) भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा
(ii) नेपाल का नागरिक होना चाहिए अथवा
(iii) भूटान का नागरिक होना चाहिए अथवा
(iv) तिब्बत का शरणार्थी होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने हेतु दिनांक 1 जनवरी 1962 के पहले भारत आया हो, अथवा

(v) भारतीय मूल का निवासी जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, दी यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्व में तनांकिया तथा ज़ांज़ियार), ज़ाम्बिया, मलावी, जैरे, इथोपिया तथा वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से आ गए हों बशर्ते कि उम्मीदवार उक्त श्रेणी (ii), (iii), (iv) व (v) के हों तथा भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

II. आयु (01.04.2023 तक)
न्यूनतम:- 21 वर्ष, अधिकतम:- 30 वर्ष

यथा किसी भी उम्मीदवार का जन्म दिनांक 02.04.1993 के पहले व दिनांक 01.04.2002 (दोनों ही तारीखें शामिल) के पश्चात न हुआ हो।

<u>ऊपरी आयु सीमा में छूट</u>

क्र सं	**श्रेणी**	**आयु में छूट (वर्ष)**
1	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी स्तर)	3 वर्ष
3	"दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016" के अधीन परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति	10 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक, आपातकालीन परिस्थितियों में आयोग द्वारा प्रदत्त रैंक धारण करने वाला अधिकारी (ई सी ओ) सहित आयोग द्वारा प्रदत्त रैंक धारण करने वाला अधिकारी / आयोग द्वारा प्रदत्त रैंक धारण करने वाला अल्प सेवा अधिकारी (एस एस सी ओ), जिन्होने सेना में 5 वर्षों की सेवा पूरी की हो, तथा अपनी सेवा के पूर्ण करने पर उन्हें कार्य मुक्त किया गया है (उन उम्मीदवारों सहित जिनकी सेवा इस आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह माह के भीतर समाप्त होने वाली हो) सिवाय उनके जिन्हें अनाचरण अथवा अक्षमता अथवा शारीरिक दिव्यांगता के कारण सेना में कार्य करने के योग्य नहीं होने पर निष्कासित किया गया हो।	5 वर्ष

नोट : (i) अनु जा / अनु जन जा / अ पी जा के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट शेष श्रेणियों में से केवल एक के साथ संचयी आधार पर अनुमत है, जिसके लिए बिंदु संख्या II (3) एवं II (4) में उल्लिखित आयु में छूट की अनुमति है।

(ii) विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों पर लागू होगी।

(iii) जो उम्मीदवार आयु में छूट चाह रहे हों उन्हें कंपनी द्वारा मांगे जाने पर साक्षात्कार के समय तथा नियुक्ति प्रक्रिया के समय किसी भी चरण में आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।

(iv) यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी उप-रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता/सकती है। हालांकि, इसका लाभ उठाने के लिए एक भूतपूर्व सैनिक, जैसे ही वह किसी भी नागरिक रोजगार में शामिल हो जाता/जाती है, को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के बारे में विवरण संबंधित नियोक्ता को स्वघोषणा / वचन देना चाहिए, जिसके लिए उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इसके अलावा यह लाभ केवल रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती पर भरे जाते हैं एवं जब भी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होता है।

अधिकारी कैडर में भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

III. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ (दिनांक 01.04.2023 तक)

क्रं. सं.	विषय	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	पदों की अनुमानित संख्या
1	लेखा (सीए)	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (सीए), इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूए) के एक सहयोगी सदस्य, चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए)	1
2	विधि	किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय / संस्थान से बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी)।	4
3	कंपनी सचिव	सीएस द्वारा भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान (आईसीएसआई) की एसीएस सदस्यता के साथ योग्यता प्राप्त	1
4	बीमांकिक	इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया का छात्र सदस्य जिसने सी एम 1, सी एस 1 एवं	2

क्रं. सं.	विषय	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	पदों की अनुमानित संख्या
		सी एस 2 अथवा इसके पिछले समकक्ष सहित कम से कम 3 पेपर पास किए हों।	
5	सू प्रौ	कम से कम 6 महीने की अवधि के साइबर सुरक्षा पर सर्टिफिकेट कोर्स सहित सीएस / आईटी अथवा एमसीए में बीटेक अथवा बीई।	2
6	आईटी/सीआईए सओ	कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ड्रुमेंटेशन में बीटेक अथवा बीई एवं कंप्यूटर साइंस/आईटी/सूचना सुरक्षा/साइबर सुरक्षा में एमई/एमटेक/एमएस वरीयता उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास पीजी स्तर पर साइबर सुरक्षा में मुख्य विशेषज्ञता है अथवा सीआईएसएसपी /सीआईएसएम /सीओएमपी टी आईए सीवाईएसए+/जीएसईसी/ओएससीपी का प्रमाणन है।	1
7	देश बीमा/अनुसंधान	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/गणितीय अर्थशास्त्र/अर्थमिति/सांख्यिकी एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री।	1
8	राजभाषा/हिन्दी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी / हिंदी अनुवाद में मास्टर डिग्री, अंग्रेजी के रूप में मूल / वैकल्पिक / प्रमुख विषय के रूप में स्नातक स्तर पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए	4

क्रं. सं .	विषय	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	पदों की अनुमानित संख्या
		न्यूनतम 55% एवं अन्य के लिए 60%; अथवा (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 55% एवं अन्य के लिए 60% के साथ स्नातक डिग्री स्तर पर मुख्य / वैकल्पिक / प्रमुख विषय के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। अथवा (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 55% और अन्य के लिए 60% के साथ स्नातक डिग्री स्तर पर मुख्य / वैकल्पिक / प्रमुख विषयों के रूप में अंग्रेजी और हिंदी के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री। अथवा (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 55% और अन्य के लिए 60% के साथ अंग्रेजी और हिंदी / हिंदी अनुवाद में मास्टर डिग्री।	

क्रं. सं .	विषय	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	पदों की अनुमानित संख्या
9	डेटा विज्ञान	डेटा विज्ञान में मास्टर डिग्री	1

नोट :(1) उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यताएँ भारत सरकार / भारत सरकार की विनियामक इकाइयों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्राप्त हों तथा परिणाम दिनांक 01.04.2023 तक अथवा उसके पूर्व घोषित किए गए हों

साक्षात्कार के समय बोर्ड / विश्वविद्यालय से यह प्रमाणित करते हुए कि परिणाम दिनांक 01.04.2023 तक अथवा उसके पहले घोषित किए गए हैं, उचित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएँ। पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण करने की तारीख विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा जारी अनंतिम प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र पर उल्लिखित दिनांक होगी। विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा वेब साइट पर यदि किसी परीक्षा विशेष का परिणाम घोषित किया जाता है तथा वेब आधारित प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो विश्वविद्यालय / संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी **मूल** दस्तावेज़ / प्रमाण पत्रों के आधार पर सत्यापन तथा आगामी प्रक्रिया के दौरान विचार किया जा सकता है।

(2) अपने ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा निकटतम दो दशमलव अंकों तक गणना करते हुए आवश्यक शैक्षणिक / व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत को दर्शाया जाना चाहिए। जहां सी जी पी ए (संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत) / जीपीए (समग्र ग्रेड प्वाइंट औसत) प्रदान किया गया है, तो उसे प्रतिशत में परिवर्तित करते हुए ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया जाये। यदि उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है तो ग्रेड को प्रतिशत व प्रतिशत को ग्रेड में परिवर्तित करने संबंधी विश्वविद्यालय / संस्थान के मानदंडों को दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(3) **प्रतिशत की गणना :** अंकों के प्रतिशत की गणना उम्मीदवार द्वारा सभी सेमिस्टर / वर्षों में सभी विषयों में कुल प्राप्तांकों को, प्राप्त अधिकतम औसत अंकों से विभाजित

करते हुए की जाएगी चाहे औनर्स / वैकल्पिक/ अतिरिक्त / अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो तो, कोई भी हों, 100 से गुना किया जाए। ये केवल उन विश्वविद्यालयों पर लागू होगा जहां श्रेणी / ग्रेड पर मात्र औनर्स के अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

<u>प्राप्त प्रतिशत के भिन्नात्मक अंक को शामिल नहीं किया जाएगा यथा 59.99% को 60% से कम माना जाएगा तथा 54.99 को 55% से कम माना जाएगा।</u>

IV. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

"विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के तहत, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं।

उक्त पदों के लिए वे दिव्यांगजन उपयुक्त है, जिन्हें आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में परिभाषित किया गया है एवं समय-समय पर दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

क) **<u>“ओ सी"श्रेणी:</u>**

मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग, बौनापन, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी एवं एसिड अटैक विक्टिम्स सहित मस्कुलोस्केलेटल अथवा तंत्रिका तंत्र तथा दोनों के कारण होने वाले स्वयं एवं वस्तुओं से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में एक व्यक्ति की अक्षमता। आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति निम्नलिखित बेंच मार्क के साथ लोकोमोटर दिव्यांगता समझा जाएगा :

- क. ओ ए : एक हाथ प्रभावित (दायाँ अथवा बायाँ)
- ख. ओ एल : एक पैर प्रभावित (दायाँ अथवा बायाँ)
- ग. ओ ए एल : एक हाथ एवं एक पैर प्रभावित
- घ. बी ए : दोनों हाथ

ओ ए एवं ओ ए एल श्रेणी वाले व्यक्तियों के हाथ सामान्य दोनों तरफ से कार्यशील होने चाहिए।

क. कुष्ठ रोग ठीक व्यक्ति "का अर्थ है एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है, लेकिन इससे पीड़ित है:

i हाथ अथवा पैर में सनसनी के नुकसान के साथ-साथ आंख एवं आंख की पुतली में सनसनी एवं पेरेसिस का नुकसान लेकिन कोई अप्रकट विकृति के साथ;

ii प्रकट विकृति एवं पैरेसिस लेकिन उनके हाथों एवं पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना जिससे की उन्हें सामान्य आर्थिक गतिविधि में जोड़कर सक्षम बनाना;

iii अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ उच्च आयु जो उन्हे किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती है एवं "कुष्ठ रोग" अभिव्यक्ति को उसके अनुसार माना जाएगा;

ख. “बौनापन” का अर्थ है एक चिकित्सीय अथवा आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) से कम की वयस्क ऊंचाई होती है;

ग. “एसिड हमला पीड़ितों" का अर्थ है कि तेजाब अथवा इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

ख) **<u>दृष्टिहीनता ("VI" श्रेणी):</u>**

निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टिहीन व्यक्ति(VI) समझा जाएगा, सर्वोतम सुधार के बाद वे आवेदन करने के पात्र हैं:

क.नेत्रहीनता

i पूर्णत अथवा दृष्टिहीन होना, अथवा

ii दृष्टि जो बेहतर आंख में करेक्टिंग लेंसों के साथ 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से अधिक नहीं हो, अथवा

iii 10 डिग्री अथवा इससे भी कम डिग्री की दृष्टि सीमा के साथ, अथवा

ख. कम दृष्टि:

i दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक अथवा 20/60 से कम 3/60 तक अथवा 10/200 (स्नेलेन) से कम हो, जिसमें बेहतर संभव सुधार हो।

ii दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक के कोण की सीमा तक।

ग. **<u>बधिर एवं श्रवणहीन (“श्र. ही.”श्रेणी)</u>**

इसमें श्रवनहीन एवं सुनने में कठिनाई दोनों शामिल हैं

श्रवनहीन से आशय है कि दोनों कानों में स्पीच आवृत्ति में 60 से 70 डेसिबल की श्रवण हानि।

घ.<u>चतुर्थ श्रेणी:</u>

केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी एक से पीड़ित हैं, वे इस श्रेणी में आवेदन हेतु पात्र हैं:

1. बौद्धिकहीनता

क. "विशिष्ट शिक्षण अक्षमता" (एस एल डी) का अर्थ है विषम परिस्थितियों का एक समूह जिसमें भाषा प्रसंस्करण में कमी जो स्वयं को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है एवं अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सि अथवा, डिस्ग्राफि अथवा, डिस्क्लेकुलि अथवा, डिस्प्रेक्सि अथवा/एवं विकासात्मक वाचाघात के रूप में ऐसी स्थितियां शामिल हैं।

2. "एकाधिक दिव्यांगता" का अर्थ खंड " ए ", "बी"; "सी"; "डी"के बीच परिभाषित हैं।

जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उन्हें भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा तय किए जाने पर उक्त से संबन्धित प्रमाणपत्र, सत्यापन / पुन: सत्यापन के अधीन होगा।

बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" एवं ईसीजीसी लिमिटेड में रिक्तियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(i) बेंचमार्क दिव्यांगों हेतु स्क्राइब की सेवाओं का प्रयोग किए जाने के लिए दिशानिर्देश

दृष्टिहीन उम्मीदवार एवं ऐसे उम्मीदवार, जिनकी लिखने की गति स्थायी रूप से किसी भी कारणवश प्रतिकूल रूप में प्रभावित हो गई है, वे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान स्वयं के खर्च पर स्क्राइब की सेवाएँ ले सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में जहां स्क्राइब की सेवाएँ ली गई हैं, निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

- परीक्षा में स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करना होगा। इस संदर्भ में बाद में किसी भी अनुरोध पर अनुकूल विचार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवार को स्वयं के खर्च पर उनके स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- स्क्राइब किसी भी शैक्षणिक क्षेत्र के हो सकते हैं। हालांकि, विशेष स्ट्रीम हेतु स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता उस संबंधित विशेष स्ट्रीम के लिए निर्धारित योग्यता से अलग होनी चाहिए, जिसके लिए उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो रहा है।

- उम्मीदवार एवं स्क्राइब दोनों को उपयुक्त वचन देना होगा कि स्क्राइब, उनके लिए निर्धारित उपर्युक्त पात्रता मानदंड का पूर्ण अनुपालन करता है। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि वह निर्धारित किसी पात्रता मानदंड का अनुपालन नहीं करता है अथवा तथ्यों को छुपाया गया है तो, भर्ती प्रक्रिया के परिणाम कि परवाह किए बिना, आवेदनकर्ता की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी ।
- परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वयं प्रश्नपत्र हल कर रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा एवं उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि परीक्षा के बाद परीक्षण व्यवस्थापक कर्मियों द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वयं प्रश्नपत्र हल किया है तो एक स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी।
- स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट तथा/ अथवा इसके अंश के क्षतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।
- एक उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में सेवा देने वाला व्यक्ति दूसरे उम्मीदवार के लिए स्क्राइब नहीं हो सकता हैं।
- स्क्राइब ईसीजीसी का वर्तमान/भूतपूर्व कर्मचारी नहीं है।
- **उम्मीदवार द्वारा व्यवस्थित स्क्राइब ऑनलाइन परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए।**
- उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्क्राइब का उपयोग करने वाले उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं उन्हें बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है, यदि वे ईसीजीसी में कार्यग्रहण किए हुए हैं।
- **केवल क्षतिपूरक समय के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों को ही क्षतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी, चूंकि यह सिस्टम आधारित है अतः परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसे उम्मीदवार जो पंजीकृत नहीं को क्षतिपूरक समय उपलब्ध करना संभव नहीं है। ऐसे उम्मीदवार जो पंजीकृत नहीं हैं उनको क्षतिपूरक समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

(ii) **<u>लोकोमोटर अशक्तता वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश</u>**

लोकोमोटर अशक्तता वाले ऐसे उम्मीदवार, जहां कार्य निष्पादन धीमा (कम से कम 40% अशक्तता) होने की सीमा तक लिखने की क्षमता प्रभावित हो, परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट तथा/अथवा उपर्युक्त में दिए गए विवरण के अनुसार क्षतिपूरक समय के पात्र होंगे।

(iii) **नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश**

- नेत्रहीन उम्मीदवार (जो कम से कम 40% अशक्तता से प्रभावित हों) परीक्षा की विषय वस्तु देखने के लिए बढ़ाए गए फॉन्ट का चयन कर सकते हैं एवं ऐसे सभी उम्मीदवार प्रति घंटे 20 अतरिक्त मिनट,अथवा जैसा परीक्षा में निर्देशित किया जाएगा, के पात्र होंगे।
- परीक्षा की विषय वस्तु को आवर्धक फ़ॉन्ट में देखने की सुविधा दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी।

(iv) बौद्धिक अक्षमता (आई डी) वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश

परीक्षा के प्रति घंटे बीस मिनट का एक प्रतिपूरक समय की, चाहे वे स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठा रहा है अथवा नहीं, 40% से अधिक बौद्धिक विकलांगता (विशिष्ट सीखने की अक्षमता) वाले उम्मीदवारों को अनुमति दी जाएगी।

इन दिशानिर्देश में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/स्पष्टीकरणों के आधार पर परिवर्तन संभव है।

<u>ग. ई डब्ल्यू एस(आर्थिक पिछड़ा वर्ग)</u>

1. वे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं एवं जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु. 8/- लाख (रुपये आठ लाख केवल) से कम है, को ई डब्ल्यू एस के रूप में समझा जाएगा। इस आवेदन से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए आय में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से आय शामिल होंगे। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के परिवार की आय के बावजूद वो यदि निम्नलिखित संपत्ति में से किसी एका का मालिक है अथवा उनके पास है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में नहीं समझा जाएगा।

i.) 5 एकड़ एवं इससे अधिक कृषि भूमि

ii) 1000 वर्ग फुट एवं इससे अधिक आवासीय फ्लैट

iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज एवं उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा 200 वर्ग गज एवं उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. विभिन्न लोकेशनों अथवा विभिन्न स्थानों / शहरों में एक "परिवार" की संपत्ति को डब्ल्यूएस का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि अथवा संपत्ति होल्डिंग टेस्ट लागू करते समय क्लब किया जाएगा।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 की सकल वार्षिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वर्ष 2023-24 हेतु वैध "आय एवं संपत्ति प्रमाण

पत्र" के प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उनके पास दिनांक 01.04.2023 को अथवा उसके पश्चात एवं साक्षात्कार के समय दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि से पहले उपरोक्त उल्लिखित "आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र" होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार के समय (यदि साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है) "आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात "आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र" के प्रस्तुत करने हेतु समय के विस्तार के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. इस उद्देश्य के लिए "परिवार" के रूप में अपने माता-पिता एवं भाई-बहनों के साथ-साथ अपने पति / पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी शामिल किया जा सकता हैं एवं उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।
5. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अनुमानित हैं एवं भारत सरकार के अगले निर्देशों एवं किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

नोट: इन दिशानिर्देश में भा. स. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/स्पष्टीकरणों के आधार पर परिवर्तन संभव है।

घ) ऑनलाइन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कंपनी द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

सभी योग्य उम्मीदवार जो ऑनलाइन पूर्व प्रशिक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें ऑन-लाइन आवेदन में संबंधित कॉलम को भरना चाहिए। प्रतिक्रिया अथवा / एवं प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर किसी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण को रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं।

केवल परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित होने मात्र से कोई भी उम्मीदवार कंपनी में चयन का अधिकारी नहीं होगा ।

ङ) चयन प्रक्रिया - ऑनलाइन परीक्षा

I. ऑनलाइन होने वाली परीक्षा का स्वरूप निम्नलिखित होगा:

क) **ऑनलाइन परीक्षा**

(i) वस्तुनिष्ठ परीक्षा - बहुविकल्पी प्रश्न: (एम सी क्यू)**:**

क्र.सं.	**परीक्षा का नाम**	**प्रश्नों की संख्या**	**अधिकतम अंक**	**समयावधि**

1.	तर्क शक्ति	40	40	30 मिनट
2.	अंग्रेज़ी भाषा	40	40	20 मिनट
3.	सामान्य जागरूकता	30	30	10 मिनट
4.	संख्यात्मक अभियोग्यता	40	40	40 मिनट
5.	व्यावसायिक ज्ञान	50	50	40 मिनट
	कुल	200	200	140 मिनट

(ii) वर्णनात्मक प्रश्नपत्र

क्र.सं.	**गतिविधि का प्रकार**	**प्रश्नों की संख्या**	**अंक**	निर्धारित समय
1.	निबंध लेखन	दिये गए दो विकल्पों में से एक	20	दोनों प्रश्नों हेतु सम्मिलित रूप से 40 मिनट
2.	संक्षिप्त लेखन	दिये गए दो विकल्पों में से एक	20	

कंपनी को परीक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करने का अधिकार है जिसकी सूचना इसकी वेबसाइट द्वारा दी जाएगी। परीक्षा से संबन्धित अन्य विवरण एवं सूचनायें सूचना पत्र में दी जाएंगी जो की कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in **पर उम्मीदवारों हेतु उनके प्रवेश पत्र के साथ डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।**

वर्णनात्मक प्रश्नपत्र (अंग्रेजी भाषा) के अंकों का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ (एम सी क्यू) परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कुल अंकों के आधार पर पर्याप्त रूप से ऊंचे स्थान पर हों। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रत्येक अनुभाग तथा वर्णनात्मक प्रश्नपत्र के लिए चयन हेतु कटऑफ अंकों का निर्धारण ईसीजीसी द्वारा किया जाएगा। कंपनी द्वारा तय की गई रिक्तियों की संख्या के 25 गुना अथवा उससे अधिक की सीमा तक वर्णनात्मक परीक्षण का मूल्यांकन किया जाएगा। वर्णनात्मक प्रश्नपत्र (अंग्रेजी भाषा) के अंकों को अंतिम चयन हेतु गणना किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित दस्तावेज़ों के अनुपस्थिति में उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी:

(1) **संबन्धित दिनांक एवं परीक्षा के सत्र का वैध प्रवेश पत्र,**
(2) **फोटो पहचान पत्र (जैसा वर्णित है) की मूल प्रति जिसमें प्रवेश पत्र/ आवेदन पत्र के समान ही नाम अंकित हो, एवं**
(3) फोटो पहचान पत्र की प्रतिलिपि(जैसा ऊपरोक्त (2) में वर्णित है)

विलंब से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों यथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र में वर्णित रिपोर्टिंग समय के बाद आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रवेश पत्र में वर्णित रिपोर्टिंग समय परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व का समय है। यद्यपि परीक्षा की अवधि 3 घंटे है तथापि उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर 4 घंटे अथवा अधिक रहना पड़ सकता है जिसमें विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति यथा विभिन्न मांगे हुए दस्तावेज़ों का प्रमाणन एवं संकलन, लॉग इन करने, निर्देशों को दिये जाने आदि में लगा समय सम्मिलित है।

II. गलत उत्तर के लिए दंड (केवल बहुविकल्पी प्रश्नपत्र पर लागू)

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर देने पर दंड का प्रावधान है। प्रत्येक प्रश्न जिसका उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, के लिए दंड स्वरूप, प्रश्न हेतु आवंटित अंक का एक चौथाई अथवा 0.25 अंक सही प्रश्नों से प्राप्त अंकों में से काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ा गया है अर्थात कोई भी उत्तर नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न हेतु कोई दंड नहीं है।

III. **परीक्षा केंद्र**

(i) ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 6 परीक्षा केन्द्रों अर्थात बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई एवं नई दिल्ली में किया जाएगा।

(ii) परीक्षा केंद्र में बदलाव की किसी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(iii) प्रतिक्रिया अथवा/एवं प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर किसी परीक्षा केंद्र को रद्द करने एवं / अथवा कुछ एवं केन्द्रों को जोड़ने अथवा कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने सभी अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित हैं।

(iv) कंपनी को उम्मीदवार द्वारा चयनित परीक्षा केंद्र के अलावा भी कोई अन्य परीक्षा केंद्र उसे आवंटित करने का अधिकार है।

(v) उम्मीदवार अपने जोखिम एवं खर्च पर किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा कंपनी किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

(vi) परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के उद्दंड व्यहार/ दुर्व्यवहार का परिणाम उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द होने / कंपनी द्वारा भविष्य में आयोजित परीक्षाओं हेतु निर्योग्यता के रूप में प्राप्त हो सकता है।

IV. प्राप्तांक

(i) प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा विभिन्न सत्रों (यदि होते हैं) में प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण इक्वी-परसेंटाइल विधि द्वारा किया जाएगा ।

(ii) गणना के लिए, अंको को दशमलव के दो स्थानो तक जाएगा।

V. प्राप्तांकों गणना की प्रक्रिया

निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर ऑनलाइन परीक्षा के प्राप्तांकों को प्राप्त किया जाएगा:

(i) किसी उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सही उत्तर दिये गए प्रश्नों की संख्या को, गलत उत्तर हेतु दंड लगाने के बाद, संशोधित प्राप्तांक हेतु लिया जाएगा।

(ii) समीकृत प्राप्तांक* पर पहुँचने के लिए विभिन्न सत्रों में होने वाले प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, संशोधित प्राप्तांक जो उम्मीदवार को प्राप्त होंगे उसको कठिनाई के स्तर में अंतर के आधार पर एकसमान बनाया जाएगा।

* किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा अर्जित प्राप्तांकों को आधार रूप में प्राप्तांकों के सभी रूपों के वितरणों को ध्यान में रखते हुए समीकृत किया जाएगा।

(iii) परीक्षावार प्राप्तांक एवं कुल प्राप्तांक को दशमलव के दो स्थानो तक दर्शाया जाएगा।

नोट: कट ऑफ दोनों स्तरों पर लागू होगा :

i. प्रत्येक परीक्षण के प्राप्तांक पर
ii. कुल प्राप्तांक पर

VI. कट-ऑफ प्राप्तांक (ऑनलाइन परीक्षा)

प्रत्येक उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा के प्रत्येक परीक्षण में कुछ न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे तथा साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए भी एक न्यूनतम कुल प्राप्तांक होने पर विचार किया जाएगा। उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ का निर्णय लिया जाएगा एवं साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व, साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों की सूचना नहीं दी जाएगी।

ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार हेतु चयन के लिए तथा ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में संयुक्त रूप से प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट सूची में चयन हेतु आधार बनाया जाएगा।

च) साक्षात्कार

जो उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा में चुने गए हैं उन्हे कंपनी द्वारा आयोजित मुंबई एवं/ अथवा अन्य केन्द्रों में साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को केंद्र, स्थान का पता, साक्षात्कार के समय एवं दिन की सूचना प्रवेश पत्र में प्राप्त होगी। उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.ecgc.in से डाउनलोड करने होंगे। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार के दिन, स्थान आदि में परिवर्तन की किसी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यद्यपि, अप्रत्याशित परिस्थितियों में साक्षात्कार के दिन/स्थान/समय/केंद्र आदि में बदलाव का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है।

साक्षात्कार के लिए कुल 60 अंक आवंटित किए गए हैं। साक्षात्कार में चयन संबंधी न्यूनतम अंक 40%(अजा/अजजा/अपिजा/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 35%) से कम नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार की भारिता का अनुपात क्रमशः 80:20 होगा। उम्मीदवार का संयुक्त प्राप्तांक ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगा। वे उम्मीदवार जो न्यूनतम अंक न प्राप्त कर पाने के कारण अथवा/अन्यथा साक्षात्कार अथवा आगे की प्रक्रिया के लिए रोके गए हैं उनके साक्षात्कार के अंक प्रदर्शित नहीं किए जाएँगे।

आगे की चयन प्रक्रिया, जिसका विवरण समय के साथ कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, हेतु शॉर्टलिस्ट होने के लिए एक उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों में ही पात्र होना होगा तथा मेरिट में पर्याप्त उच्च स्थान प्राप्त करना होगा ।

साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों को वैध निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज़ न प्रस्तुत करने की स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया

जाएगा। कंपनी अलग से भेजे गए किसी प्रमाणपत्र/विप्रेशण/ दस्तावेज़ को प्राप्त/संग्रहित करने आदि की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती।

<u>साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची (जो भी हो)</u>

निम्नलिखित दस्तावेज़ों की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, उम्मीदवार की योग्यता तथा पहचान के संबंध में, साक्षात्कार के समय अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से मना किया जा सकता है। **साक्षात्कार के समय मांगे गए दस्तावेज़ों को न प्रस्तुत करने की स्थिति में आगे की चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारी से उसे रोक दिया जाएगा।**

(i) वैध प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट

(ii) ऑनलाइन परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का वैध, सिस्टम द्वारा जेनरेटेड, प्रिंटआउट

(iii) जन्म दिवस का साक्ष्य (नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र अथवा एस एस एल सी/ 10 वीं स्तर का जन्मतिथि के साथ प्रमाणपत्र)

(iv) विज्ञापन के पॉइंट ज में बताए गए फोटो पहचान पत्र

(v) स्नातक अथवा पात्रता डिग्री परीक्षा आदि के अंक-पत्र तथा प्रमाणपत्र। **01.04.2023** से पहले परिणाम की घोषणा संबंधी बोर्ड/ विश्वविद्यालय के वैध दस्तावेज़

(vi) अधिकृत प्राधिकरण द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अजा/अजजा/अपिजा उम्मीदवारों हेतु प्रावधान है।

अन्य पिछड़े वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को जो क्रीमीलेयर में आते हैं अथवा उनकी जाति केंद्र की अपिजा सूची में नहीं है वे आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। उन्हे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना वर्ग सामन्य लिखना चाहिए।

(vii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।

(viii) दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में नवीनतम वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यदि उम्मीदवार ने स्क्राइब की सेवाएँ ली हैं तो निर्दिष्ट प्रारूप में स्क्राइब का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

(ix) एक भूतपूर्व कर्मचारी उम्मीदवार के रूप में आपको सर्विस अथवा डिस्चार्ज बुक की प्रति के साथ पेंशन पेमेंट ऑर्डर तथा पिछली/ वर्तमान मे धारण किए हुए पद का दस्तावेज़ी साक्ष्य साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना है। वे जो अभी तक रक्षा सेवाओं

में हैं उन्हे किसी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ये प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है कि उन्हे **30.11.2023** से पूर्व सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

(x) साक्षात्कार के समय सरकारी/ अर्ध-सरकारी/ सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं सहित) में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी अनुपस्थिति में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उन्हें किसी यात्रा भत्ते, यदि होता है तो तथा जो अन्यथा दिया जाता है, का भुगतान नहीं किया जायेगा| ईसीजीसी लिमिटेड में चयन हेतु साक्षात्कार में शामिल होने के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी किया गया हो|

(xi) अनुभव का प्रमाणपत्र, यदि कोई हो

(xii) श्रेणी (ii), (iii), (iv) तथा पॉइंट ख (I) के (v) में आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(xiii) पात्रता के संबंध में कोई अन्य उपयुक्त दस्तावेज़

नोट: उम्मीदवार को साक्षात्कार में नहीं सम्मिलित होने दिया जाएगा यदि वह उपरोक्त पात्रता संबंधी दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने में असफल होता है।

साक्षात्कार के समय संबन्धित पात्रता दस्तावेजों का अनुपस्थिति उम्मीदवार को भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए अयोग्य बना देगा।

कोई भी दस्तावेज़ साक्षात्कार से पहले अथवा बाद में कंपनी को सीधे नहीं भेजा जाएगा।

अजा/अजजा/अपिजा/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/ बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों के प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित हैं(जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशित है)

<u>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जातियों के लिए</u> : (i) जिला अधिकारी/अतरिक्त जिलाधिकारी/ कलेक्टर/ उप आयुक्त/ अतरिक्त उपायुक्त/ उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट/ उप-मंडल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट कि रैंक से नीचे का नहीं)/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट /अतरिक्त सहायक आयुक्त ; (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अतरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) तहसीलदार एवं उससे ऊपर की रैंक का राजस्व अधिकारी (iv) उस क्षेत्र का उप प्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार रहता है।

<u>आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए</u> :(i) जिला अधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ कलेक्टर/ उप आयुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-मंडल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) तहसीलदार एवं उससे ऊपर की रैंक का राजस्व अधिकारी (iv) उस क्षेत्र का उप प्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार रहता है।

<u>बेंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए</u>: जिला स्तर का मेडिकल बोर्ड जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिले का उप प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी तथा अस्थिरोग विशेषज्ञ/ नेत्र रोग विशेषज्ञ/ ईएनटी शल्य चिकित्सक अधिकृत प्रमाणन अधिकारी होंगे|

अजा/अजजा/अपिजा/दिव्यांग वर्गों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय उनके वर्गों से सम्बंधित प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करने होंगे| इन प्रमाण पत्र का सत्यापन/पुन: सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। **प्रमाण पत्र आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले की तारीख का होना चाहिए।**

अजा/अजजा/अपिजा/आपिव/दिव्यांग प्रमाणपत्र, साक्षत्कार के समय प्रस्तुत करना हैं।

अजा/अजजा/अपिजा/आपिव/दिव्यांग प्रमाणपत्र, जो साक्षत्कार के समय प्रस्तुत किये जाने हैं, के फार्मेट ईसीजीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.ecgc.in से डाऊनलोड किये जा सकते हैं| उक्त श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को केवल निर्दिष्ट प्रारूपों में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कड़ाई से अनुपालन करना है।

छ) चयन

अंतिम चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में एक साथ लिए गए उम्मीदवारों के प्रदर्शन तथा योग्यता के आधार पर होगा। साक्षात्कार प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, कंपनी की कारोबार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के आधार पर, सरकार की आरक्षण नीति, भारत सरकार/अन्य द्वारा समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों, प्रशासनिक आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को कार्यगृहण पत्र भेजे जाएंगे। इस विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या विज्ञापन की तारीख तक की है। तथापि, इस चयन प्रक्रिया की योग्यता सूची अंतिम परिणाम के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष (अर्थात 365 दिन) तक वैध होगी एवं दिनांक **31/03/2024** तक की अवधि के लिए उत्पन्न होने वाली कोई भी रिक्तियां प्रस्ताव पत्र जारी करके भरी जा सकती हैं। अंतिम परिणाम के प्रकाशन की तिथि के एक वर्ष (अर्थात

365 दिन) के पश्चात योग्यता सूची स्वतः समाप्त हो जाएगी।हालांकि, जब सभी अधिसूचित रिक्त पदों को भर दिया जाता है तो कंपनी इस योग्यता सूची का उपयोग नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

उम्मीदवार द्वारा पहले से पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार, जो कि सामान्य वर्ग के लिए लागू होने वाले मानकों पर चयनित होता है तो उसे स्वतः योग्य उम्मीदवार माना जाएगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जो कि अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के लिए लागू होने वाले मानकों पर चयनित होते हैं तो उनको आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऑनलाइन पंजीकरण में पंजीकृत उनका मूल वर्ग अपरिवर्तित रहेगा।

दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होने पर, प्रचलित पद्धति के अनुसार, उम्मीदवार की जन्मतिथि (उम्र में वरिष्ठ उम्मीदवार को उम्र में कनिष्ठ उम्मीदवार के ऊपर/पहले रखा जाएगा) के आधार पर मेरिट का निर्णय लिया जाएगा।

उम्मीदवार का अंतिम चयन इस विज्ञापन में दी गई अहर्ताओं को पूरा करने एवं कंपनी की संतुष्टि के लिए पहचान सत्यापन पर निर्भर करता है। यदि, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन का अवसर समाप्त हो जाएगा।

नियम एवं शर्तों सहित नियुक्ति पत्र जारी करना, सत्यापन के लिए औपचारिकताएँ, नियुक्ति आदि पर केवल कंपनी पर निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा। कंपनी का निर्णय अंतिम होगा एवं चयनित उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा।

यह एक अखिल भारतीय सेवा है एवं चयनित उम्मीदवार की तैनाती कंपनी के विवेकाधिकार से भारत में कहीं भी की जा सकती है।
तथापि, चयनित उम्मीदवारों को किसी भी बदलाव पर विचार करने से पहले संबंधित विभाग में प्रधान कार्यालय, मुंबई में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा करनी होगी। कंपनी प्रशासनिक कारणों से किसी भी कार्मिक को स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

बॉन्ड: चयनित उम्मीदवारों को, कार्यग्रहण के समय, तीन महीने के वेतन (वेतन जिसके लिए अधिकारी पात्र है) के बराबर राशि के लिए एक बांड निष्पादित करना होगा, जो कि ईसीजीसी को कम से कम तीन साल की अवधि के लिए सेवा देने के लिए लिक्विडेटेड नुकसान के रूप में होगा। यदि उम्मीदवार कार्यग्रहण की तारीख से तीन साल की समाप्ति से पहले ईसीजीसी की सेवा से इस्तीफा दे देता है, तो ईसीजीसी द्वारा बांड को लागू किया जाएगा। लिक्विडेटेड नुकसान के हर्जाने के अलावा अधिकारी को तीन महीने की नोटिस अवधि पर काम करना होगा।

यदि कोई कर्मचारी उपरोक्त शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है, तो वह कंपनी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, मुआवजे के रूप में आवश्यक नोटिस अवधि के लिए उसका/ उसकी वेतन के बराबर राशि वसूली की जाएगी। यह राशि बॉन्ड राशि के अतिरिक्त होगी।

ज) पहचान सत्यापन

(i) प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़

ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के समय भी, उम्मीदवार के फोटो पहचान पत्र **(प्रवेश पत्र में लिखे हुए नाम जैसे ही नाम वाला)** जैसे पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाईसेंस/ वोटर कार्ड/ फोटो सहित बैंक पासबुक/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण पत्र/ एक जनप्रतिनिधि के साथ तस्वीर/ प्रतिष्ठित महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र/ आधार कार्ड/ एक फोटो सहित ई आधार कार्ड/ कर्मचारी पहचान प्रमाण पत्र सहित प्रवेश पत्र सत्यापन हेतु पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करना होगा। उपस्थिति सूची एवं प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों में प्रवेश पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार उम्मीदवार की पहचान सत्यापित की जाएगी। **यदि उम्मीदवार की पहचान पर संदेह होता है तो उम्मीदवार को परीक्षा/ साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

- **इस परीक्षा में राशन कार्ड एवं लरनर्स ड्राइविंग लाइसेन्स को वैध पहचान पत्र नहीं माना जाएगा।**
- **ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नाम में परिवर्तन किया है उनको मूल राजपत्रित अधिसूचना/ उनका मूल विवाह प्रमाण पत्र/ मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति दी जा सकती है।**

नोट : उम्मीदवारों को, क्रमशः परीक्षा/ साक्षात्कार में के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र/ प्रवेश पत्र में लिखे हुए नाम के पूर्ण रूप समान नाम वाला मूल पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना उम्मीदवार को परीक्षा/ साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii) **<u>परीक्षा संबंधित निर्देशों में सामाजिक दूरी आचरण</u>**

<u>उम्मीदवारों के एक सेट के लिए अलग-अलग रिपोर्टिंग समय मुद्रित किया जाएगा। भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवार को रिपोर्टिंग समय से पहले रिपोर्ट करना होगा।</u>

1. परीक्षा तिथि से पहले उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर/ मेल पर एसएमएस/ मेल के माध्यम से सूचनानुसार उम्मीदवार को एडमिट कार्ड में उल्लिखित समय स्लॉट के अनुसार परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। यह उम्मीद की जाती है कि उम्मीदवार इस समय स्लॉट का सख्ती से पालन करें - क्योंकि परीक्षा स्थल में प्रवेश केवल व्यक्तिगत आवंटित स्लॉट के आधार पर प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर सूचित किए गए रिपोर्टिंग समय से कम से कम 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए।

2. 'कैंडिडेट रोल नंबर एवं लैब नंबर' की मैपिंग परीक्षा स्थल के बाहर प्रदर्शित नहीं की जा सकती हैं लेकिन उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर प्रवेश के समय व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा एवं अपना एडमिट कार्ड/ कॉल लेटर पोस्ट किया जाएगा एवं पहचान पत्र का सत्यापन किया जाएगा।

3. **परीक्षा केंद्र के भीतर निम्नलिखित वस्तुएँ ले जाने की अनुमति है :**

क) मास्क (इसे हर समय पहनने की सलाह दी जाती है)
ख) दस्ताने(इसे हर समय पहनने की सलाह दी जाती है)
ग) व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल
घ) व्यक्तिगत हैंड सेनीटाइजर (50 मिली)
ङ) एक साधारण कलम
च) परीक्षा से संबंधित दस्तावेज (प्रवेश पत्र/ एडमिट कार्ड, मूल पहचान पत्र, पहचान पत्र की फोटोकॉपी आदि)
छ) **प्रवेश पत्र/ एडमिट कार्ड को फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी के साथ लाया जाना चाहिए। मूल पहचान पत्र (फोटोकॉपी के समान) को भी सत्यापन के लिए लाया जाना है। पहचान पत्र एवं प्रवेश पत्र/ एडमिट कार्ड पर नाम बिल्कुल समान होना चाहिए। पी डब्ल्यू बी डी**

उम्मीदवारों को अपना नवीनतम वैध दिव्यांग**ता प्रमाण पत्र ऑनलाइन लिखित परीक्षा केंद्र पर दिखाना आवश्यक है।**

ज) **स्क्राइब का सेवा लेने वाले उम्मीदवार के मामले में- स्क्राइब फॉर्म फोटोग्राफ के साथ विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए।**

किसी अन्य वस्तु को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है।

4. उम्मीदवार को अपने व्यक्तिगत समान को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए।
5. उम्मीदवार एक दूसरे के साथ सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखें।
6. परीक्षा केंद्र पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को पंक्ति में खड़ा होना चाहिए।
7. यदि उम्मीदवार स्क्राइब का लाभ उठा रहा है, तो स्क्राइब को अपने स्वयं के दस्ताने, एन 95 मास्क, सैनिटाइज़र (50 मिली) एवं पानी की बोतल भी लानी चाहिए। मास्क पहनना अनिवार्य है। उम्मीदवार एवं स्क्राइब दोनों को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।
8. उम्मीदवार पंजीकरण:

क) उम्मीदवार का पंजीकरण फोटो एवं बायोमेट्रिक कैप्चर के माध्यम से किया जाएगा।

ख) उम्मीदवार को खड़ा करके ही फोटो खींची जाएगी।

ग) उम्मीदवार का बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाएगा।

घ) उम्मीदवार को सीट नंबर दिया जाएगा।

9. **रफ शीट, प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र प्रबंधन**
    - प्रत्येक उम्मीदवार के डेस्क पर रखी गई शीट(टों) का उपयोग उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा। परीक्षा के दौरान कोई अतिरिक्त शीट प्रदान नहीं की जाएगी।
    - उम्मीदवार को प्रवेश पत्र जमा करने से संबंधित निर्देशों का पालन करना होगा, जो लैब में/ बाहर निकलते समय अथवा निर्धारित स्थान पर दिए गए ड्रॉप बॉक्स में पहचान पत्र कॉपी के साथ जमा करना होगा। जो उम्मीदवार स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठाते हैं, उन्हें प्रवेश पत्र फॉर्म एवं पहचान पत्र कॉपी के साथ स्क्राइब भी फॉर्म जमा करना चाहिए।
    - बाहर निकलते समय लैब/ केंद्र से बाहर दिए गए ड्रॉप बॉक्स में उम्मीदवार को रफ शीट जमा करना हैं। रफ शीट के लिए ड्रॉप बॉक्स प्रवेश पत्र ड्रॉप बॉक्स से अलग होगा। विशिष्ट निर्देश परीक्षा केंद्र में प्रदर्शित किए जाएंगे।
10. **परीक्षा के बाद नियंत्रण**
    - एक शिफ्ट के पूरा होने पर, उम्मीदवारों को भीड़ के बिना क्रमबद्ध ढंग से स्थल के कर्मियों द्वारा निर्देशित अनुसार स्थल से बाहर निकालना होगा।

(परीक्षा से संबंधित कुछ एवं निर्देश परीक्षा की निर्धारित तिथि के दौरान स्थिति के आधार पर जोड़े अथवा संशोधित किए जा सकते हैं)

झ) **आवेदन कैसे करें**

उम्मीदवार केवल दिनांक- 02.05.2023 से 31.05.2023 तक ही आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन की कोई अन्य पद्धति मान्य नहीं होगी।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक हैं :

i. स्कैन करें

- अपने फोटोग्राफ (4.5 सें मी X 3.5 सें मी)
- हस्ताक्षर
- बाएं अंगूठे का निशान (यदि किसी उम्मीदवार का बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है, तो वह अपने दाएं हाथ के अंगूठे का उपयोग कर सकता है। यदि दोनों अंगूठे गायब हैं, तो तर्जनी से शुरू होने वाले बाएं हाथ की उंगलियों में से एक उंगली से निशान लिया जाना चाहिए। यदि बाएं हाथ की उंगलियां नहीं हैं, तो दाहिने हाथ की उंगलियों में से एक का अग्रभाग से शुरू होना चाहिए। यदि कोई भी उंगली उपलब्ध नहीं हैं, तो बाएं पैर की उंगली का निशान लिया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में जहां बाएं अंगूठे का निशान अपलोड नहीं किया गया है, उम्मीदवार को अपलोड किए गए दस्तावेज़ में उंगली का नाम एवं बाएं/ दाएं हाथ अथवा पैर की अंगुली के विनिर्देश को निर्दिष्ट करना चाहिए)।
- एक हस्तलिखित घोषणा (नीचे दिया गया पाठ)। उक्त घोषणा उम्मीदवार के हाथ से अंग्रेजी में ही लिखी होनी चाहिए। यदि यह किसी और के द्वारा लिखा गया है एवं अपलोड किया गया है अथवा किसी अन्य भाषा में है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा। (ऐसे उम्मीदवार जो लिख नहीं सकते हैं, वे घोषणा के पाठ को टाइप करवा सकते हैं एवं टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा सकते हैं (यदि हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं हैं) एवं विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड करें) सुनिश्चित करें कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ इस विज्ञापन के अनुलग्नक I में दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ इस विज्ञापन के अनुलग्नक I में दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं।

ii. कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।

iii. बाएं अंगूठे के निशान को ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए एवं धब्बा नहीं होना चाहिए।

iv. हाथ से लिखी जाने वाली घोषणा के लिए पाठ इस प्रकार है -

“मैं, ________ (उम्मीदवार का नाम), एतद्वारा घोषित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सच्ची एवं वैध है। आवश्यकता पड़ने पर मैं सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।”

v. उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार के हाथ से लिखी हुई एवं अंग्रेजी में होनी चाहिए एवं उसके लिए कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। यदि यह किसी एवं द्वारा अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा गया है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा।

vi. आवश्यक आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के **ऑनलाइन भुगतान** के लिए आवश्यक विवरण/ दस्तावेज़ तैयार रखें।

vii. उम्मीदवार का अपना वैध ई मेल आई डी होना अनिवार्य है, जिसे भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने तक सक्रिय रखना अनिवार्य है। ई सी जी सी द्वारा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पंजीकृत ई मेल के जरिये भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार द्वारा अपने पंजीकृत ई मेल आई डी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न करे। यदि किसी उम्मीदवार का व्यक्तिगत ई मेल आई डी न हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के पहले उसे बनाना होगा तथा उस ई-मेल खाते को बनाए रखना होगा।

दिनांक 02.05.2023 से 31/05/2023 तक, दोनों ही तारीखों सहित आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार(ऑनलाइन भुगतान) देय होंगे

अनु जा/ अनु जन जा/ निशक्त उम्मीदवारों के लिए - **175**/- रु

अन्यों के लिए - **850**/- रु

आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक संव्यवहार प्रभार को उम्मीदवारों को स्वयं वहन करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रक्रिया

1) सर्वप्रथम उम्मीदवारों को ईसीजीसी के वेबसाइट www.ecgc.in पर जाना होगा तथा होम पेज पर “ईसीजीसी में कैरियर” लिंक खोलनी होगी तथा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलने के लिए “CLICK HERE TO APPLY ONLINE” विकल्प पर क्लिक करना होगा।

2) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी मूलभूत जानकारी की प्रविष्टि करते हुए अपने आवेदन को “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” पर पंजीकृत करना होगा। उसके बाद सिस्टम द्वारा प्रावधानिक पंजीकरण सं तथा पासवर्ड जनरेट होगा

तथा स्क्रीन पर दिखेगा। प्रावधानिक पंजीकरण सं तथा पासवर्ड ई-मेल/ एस एम एस द्वारा भी भेजा जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो वे प्रावधानिक पंजीकरण सं तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुए अपना सेव किया गया विवरण पुनः खोल सकते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर सकते हैं।

3) उम्मीदवारों को अपलोड करना हैं
-फोटोग्राफ
-हस्ताक्षर
-बाएँ अंगूठे का निशान
-हस्तलिखित घोषणा
(अनुबंध I) के दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार के अनुसार दस्तावेजों को स्कैन एवं अपलोड किया जाना हैं।

4) **उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को स्वयं ध्यान पूर्वक भरे जैसा कि ऑनलाइन आवेदन भरे गए विवरण में किसी भी प्रकार के संशोधन मान्य नहीं होगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन को प्रस्तुत करने के पहले ऑनलाइन आवेदन में विवरणों के सत्यापन के लिए “SAVE AND NEXT” सुविधा का उपयोग करें। “COMPLETE REGISTRATION” बटन क्लिक करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। दृश्यांध उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे जाने वाले विवरणों के सत्यापन / विवरण भरे जाने तथा प्रस्तुति के पहले यह सुनिश्चित करने कि प्रस्तुति के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता नहीं है, के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे**

भुगतान की पद्धति

उम्मीदवार केवल आवश्यक शुल्क / सूचना प्रभार ऑनलाइन पद्धति से ही जमा करा सकते हैं:

i. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों ध्यानपूर्वक विवरण भरे तथा ऑनलाइन आवेदन प्रारूप के अंत में “COMPLETE REGISTRATION” बटन पर क्लिक करें। “COMPLETE REGISTRATION” बटन पर क्लिक करने के पहले उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है उनके द्वारा आवेदन में भरे गए प्रत्येक फील्ड को सत्यापित करें। उम्मीदवार का नाम/ उनके पिता/ पति आदि का नाम उसी रूप से भरें जैसा कि वह उनके प्रमाणपत्रों में उल्लिखित है।

यदि कोई उम्मीदवार एक बार में आवेदन भर पाने में असमर्थ होता है तो वह पहले ही एंटर किए गए आंकड़ों को सेव करे। जब आंकड़े सेव कर लिए जाते हैं तो सिस्टम द्वारा एक प्रावधानिक पंजीकरण सं तथा पासवर्ड जनरेट होगा तथा स्क्रीन पर दिखेगा। प्रावधानिक पंजीकरण सं तथा पासवर्ड दर्शाते हुए ई-मेल व एस एम एस भेजा जाएगा। वे प्रावधानिक पंजीकरण सं तथा पासवर्ड का उपयोग कर सेव किए गए विवरणों को एडिट कर सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग केवल तीन बार किया जा सकता है। एक बार आवेदन पूर्ण रूप से भर लिया जाये तो उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सकता है।

ii. आवेदन फॉर्म भुगतान गेटवे के साथ जुड़ा हुआ है तथा भुगतान प्रक्रिया निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए पूरी की जा सकती है।

iii. स्क्रीन पर मांगी गयी जानकारी प्रदान करते हुए, भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे/ वीसा/ मास्टर कार्ड/ मास्टरो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आई एम पी एस, कैश कार्ड/ मोबाईल वॉलेट से की जा सकती हैं।

iv. “COMPLETE REGISTRATION” के पश्चात, आवेदन फॉर्म का एक अतिरिक्त पृष्ठ प्रदर्शित होगा जहां उम्मीदवार को दिये गए निर्देशों का अनुपालन करना होगा तथा आवश्यक विवरण भरने होंगे।

v. यदि ऑनलाइन संव्यवहार सफल रूप से पूर्ण नहीं हुआ है तो उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि अपने प्रावधानिक पंजीकरण सं तथा पासवर्ड के जरिये पुनः लॉग इन करें तथा आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार की ऑनलाइन अदायगी करें।

vi. संव्यवहार की सफल पूर्ति पर एक ई रसीद प्राप्त होगी।

vii. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ई रसीद तथा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का का प्रिंट आउट ले लें जिसमें शुल्क विवरण उपलब्ध हों। कृपया नोट करें कि यदि ये जनरेट न हों तो समझ लें कि ऑनलाइन संव्यवहार सफल नहीं है।

नोट :

- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आपके भुगतान जानकारी प्रस्तुत करने के उपरांत कृपया सर्वर से प्राप्ति सूचना के लिए इंतज़ार करें, Back अथवा Refresh button न दबाएँ ताकि दोहरे चार्जेस को टाला जा सके।
- क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए अभी प्रभार भारतीय रु में होंगे। यदि आप गैर भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो आपका बैंक मौजूदा विनिमय दरों पर आपकी स्थानीय मुद्रा को परिवर्तित करेगा।
- अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जब आपका संव्यवहार समाप्त हो जाये तो अपने ब्राउज़र विंडो को बंद कर दीजिये।

  शुल्क के भुगतान/सूचना प्रभार सहित सभी ऑनलाइन समव्यवहारों को पूरा करने के उपरांत उम्मीदवार को सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले कर रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके तो भरे गए ऑन लाइन विवरण सही हैं तथा भावी संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड संभाल कर रखे। वे इस प्रिंट आउट को ई सी जी सी को न भेजे।

कृपया नोट करें कि उम्मीदवार के नाम, श्रेणी, जन्म तारीख, पता, मोबाइल सं, ई मेल आई डी, परीक्षा का केंद्र आदि, सहित ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा तथा ऑनलाइन फॉर्म की प्रस्तुति के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अतः उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन को काफी ध्यानपूर्वक भरें क्योंकि इस संबंध में विवरणों में किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। आवेदन फॉर्म में प्रदान किए जाने वाले विवरणों में कोई गलत अथवा अपूर्ण जानकारी भरने के कारण उत्पन्न परिणामों के लिए ई सी जी सी जिम्मेदार नहीं होगा।

आवेदन के सफल पंजीकरण पर सृजित पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड के साथ एक ईमेल/ एसएमएस सूचना उम्मीदवार के ई-मेल आईडी/ मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट सिस्टम जनरेटेड पावती के रूप में भेजी जाएगी। **यदि उम्मीदवारों को उनके द्वारा निर्दिष्ट ईमेल आईडी/ मोबाइल नंबर पर ईमेल एवं एसएमएस सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे विचार कर सकते हैं कि उनके ऑनलाइन आवेदन को सफलतापूर्वक पंजीकृत नहीं किया गया है।**

कोई भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो किसी भी संबंध में जैसे आवेदन फॉर्म के साथ सही आकार का फोटोग्राफ अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना/ शुल्क अदायगी में असफलता को वैध नहीं माना जाएगा।

उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि अपने हित के लिए अंतिम तारीख के काफी पहले ऑनलाइन आवेदन भर दें एवं शुल्क/ जानकारी प्रभार को जमा करने की अंतिम तारीख तक इंतज़ार न करें ताकि इंटरनेट/ वेबसाइट पर बहुत अधिक भार पड़ने के कारण ई सी जी सी वेब साइट में लॉग ऑन करने पर जाम लग जाने से बचा जा सके।

उक्त कारण से अथवा किसी अन्य कारण जो ई सी जी सी के नियंत्रण के बाहर हो, के फलस्वरूप यदि कोई उम्मीदवार अंतिम तारीख तक ऑनलाइन आवेदन भर पाने में असमर्थ हो तो ई सी जी सी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

कृपया नोट करें कि आवेदन के लिए मात्र उक्त प्रक्रिया ही वैध प्रक्रिया है। आवेदन करने की कोई अन्य प्रक्रिया अथवा अपूर्ण अवस्था मान्य नहीं होगी तथा इस प्रकार के आवेदनों को नामंज़ूर किया जा सकता है।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गयी कोई भी जानकारी उम्मीदवार पर व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी तथा यदि भर्ती के बाद की अवस्था में उनकी जानकारी अपूर्ण अथवा गलत पायी गयी तो उन पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

ग) **सामान्य निर्देश**

1) **उम्मीदवारों को <u>अनिवार्यतया</u> ऑनलाइन परीक्षाओं तथा साक्षात्कार के समय आवश्यक दस्तावेज़, जैसे वैध आमंत्रण पत्र, फोटो प्रमाण पत्र जिसमें नाम उसी अनुसार हो जैसा कि प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन आवेदन में है, प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा से पहले अथवा बाद में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी दस्तावेज सीधे ईसीजीसी को नहीं भेजा जाएगा।**

2) पद हेतु आवेदन के पहले उम्मीदवार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उन्होने इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता तथा अन्य मानदंड पूरे किए हैं। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें।

3) **परीक्षा / साक्षात्कार / तथा बाद की प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार का प्रवेश पूर्ण रूप से अनंतिम होगा। उम्मीदवार के लिए जारी मात्र आमंत्रण पत्र (त्रों)/ अनंतिम आबंटन का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे ई सी जी सी द्वारा नियुक्त कर लिया गया है। ई सी जी सी को अधिकार है कि वह यह दर्शाते हुए, प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदन को नामंज़ूर कर सकता है, उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है कि उम्मीदवार ने पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया है तथा/ अथवा उन्होने गलत/ असत्य/ जानकारी/ प्रमाणपत्र/ दस्तावेज़ प्रस्तुत किए है अथवा आवश्यक तथ्यों को छुपाया है। यदि किसी भी कारण स्वरूप इस विज्ञापन के निबंधनों व शर्तों के अनुसार उम्मीदवार की उम्मीदवारी को नामंज़ूर किया जाता है तो इस संबंध में किसी**

भी प्रकार के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि,कंपनी में नियुक्ति के बाद, उपरोक्त में से कोई भी कमियाँ पाई जाती हैं तो बिना किसी सूचना के उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाएंगी।

4) योग्यता तथा अन्य पात्रता मानदंडों, परीक्षा तथा साक्षात्कार के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की जांच, सत्यापन आदि तथा भर्ती प्रक्रिया से संबन्धित कोई मामले में जहां उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में जांच की जाती है वहाँ कंपनी का निर्णय अंतिम व उम्मीदवार के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में ई सी जी सी द्वारा किसी भी पत्राचार अथवा व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए उत्तर नहीं दिया जाएगा।

5) **सुनिश्चित किया जाये कि उम्मीदवार द्वारा लाया गया स्क्राइब स्वयं भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार न हो। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उक्त उल्लंघन पाया जाये तो भर्ती प्रक्रिया के लिए दोनों की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा तथा स्क्राइब को रद्द कर दिया जाएगा।**

6) **उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे। यदि किसी उम्मीदवार से एक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं तो नवीनतम वैध (पूर्ण रूप से भरा गया) माना जाएगा तथा बहु पंजीकरणों के लिए अदा किए गए आवेदन शुल्क/ सूचना चार्जेस को ज़ब्त कर लिया जाएगा।**

7) **ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार में बहु उपस्थिती को नामंज़ूर किया जाएगा तथा उम्मेदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।**

8) एक बार पंजीकृत किए गए ऑनलाइन आवेदन को वापस लिया जाना मान्य नहीं होगा तथा / अथवा अदा किए गए आवेदन शुल्क/ सूचना चार्जेस को वापस नहीं लौटाया जाएगा अथवा किसी अन्य परीक्षा के लिए नहीं रखा जाएगा।

9) भर्ती प्रक्रिया सहित इस विज्ञापन संबन्धित कोई भी विवाद मात्र मुंबई में स्थित नयायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

10) **किसी भी प्रकार का कैनवसिंग अथवा प्रभाव स्थापित करने का प्रयास भर्ती प्रक्रिया से अपात्रता का कारण बन सकता है।**

11) **ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए दिनांक, समय एवं स्थान परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। पते, ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित विवरणों में परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।**

12) यदि इस विज्ञापन के अँग्रेजी के अलावा किसी भी वर्जन में उल्लिखित शर्तों के विवेचन के कारण उत्पन्न विवादों के मामले में कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध अँग्रेजी वर्जन ही मान्य होगा।

13) उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा उनके आमंत्रण पत्रों, उपस्थिती पत्र आदि तथा भविष्य कंपनी के साथ किए जाने वाले पत्राचार में किए गए हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए, किसी भी प्रकार असंगति मान्य नहीं होगी। CAPITAL LETTERS में हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे।

14) उम्मीदवार द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में हाल ही का पहचानने योग्य फोटोग्राफ (4.5 सें मी X 3.5 सें मी) अपलोड किया जाये तथा उम्मीदवार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उसके पास उनकी पर्याप्त प्रतियाँ है जिनका उपयोग प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में किया जाएगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि प्रक्रिया पूरी होने तक अपना हुलिया न बदलें। प्रक्रिया के किसी भी चरण में उसी फोटोग्राफ को प्रस्तुत कर पाने में असमर्थता अथवा किसी भी चरण में उनकी पहचान पर शंका से उन्हें अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।

15) परीक्षा के प्रबंधन में किसी भी समस्या के उत्पन्न होने की संभावना को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता जिससे परीक्षा का आयोजन तथा/ अथवा परिणाम की घोषणा प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामले में इस प्रकार की समस्या के निवारण का हर संभव उपाय किया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, परीक्षा में विलंब आदि भी शामिल हो सकता है। पुनः परीक्षा लेने का विकल्प पूर्ण रूप से ई सी जी सी के विवेकाधीन होगा। उम्मीदवारों के पास पुन: परीक्षण के लिए कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा वितरण की विलंबित प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक अथवा भाग लेने के इच्छुक नहीं होने वाले उम्मीदवारों को प्रक्रिया से तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।

16) बाहर के पात्र उम्मीदवारों के लिए निकटतम मार्ग से यात्रा के लिए सबूत प्रस्तुत करने (रेल/ बस की टिकटें) पर आने व वापसी के द्वितीय श्रेणी रेल/ बस के वास्तविक किराए, इनमें से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

17) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे किसी के साथ अपने आवेदन विवरणों को साझा न करें।

18) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की घोषणा इस विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार ई सी जी सी की अन्य आवश्यकताओं के अनुसार तथा चिकित्सकीय रूप से ठीक पाये जाने तथा कंपनी की सेवा तथा आचरण नियमों के अधीन होगी।

19) ई सी जी सी को अधिकार है कि वह मानदंडों, चयन पद्धति तथा अनंतिम आबंटनों आदि में संशोधन (रद्द/ संशोधन/ शामिल) कर सकता है।

20) <u>जानकारी, भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में पंजीकृत ई मेल आई डी तथा मोबाइल संख्या पर ही ईमेल तथा/ अथवा एस एम एस के जरिये भेजी जाएगी।</u>

21) मोबाइल संख्या, ई मेल पते, तकनीकी खराबी अथवा कंपनी के नियंत्रण के परे कोई अन्य कारण से यदि उम्मीदवार को जानकारी प्राप्त न हो तो ई सी जी सी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी तथा **उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे प्राधिकृत ई सी जी सी वेब साइट www.ecgc.in पर नवीनतम अपडेटों पर नज़र रखें।**

22) **यदि चयन प्रक्रिया अथवा भर्ती के बाद के चरण में, उम्मीदवार की हस्तलिखित घोषणा पर लिखावट अथवा फोटोग्राफ अथवा बायोमेट्रिक्स को अलग/ अलग पाया जाता है, तो विशेषज्ञ विश्लेषण के अनुसार, उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्ति के बाद इनमें से किसी भी कमी का पता चलता है, तो उसकी सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।**

23) **उम्मीदवारों को इस विज्ञापन में दिए गए परीक्षा के सामाजिक दूरी मोड के बारे में एवं बाद में सभी दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।**

<u>छ)</u> परीक्षा केंद्र के भीतर निम्नलिखित वस्तुएँ ले जाने की अनुमति नहीं है :

क) **कोई भी स्टेशनरी की वस्तु जैसे टेक्स्टुयल सामाग्री (प्रिंट किए गए अथवा लिखित रूप में), पेपर के टुकड़े, ज्योमेटरी/ पेंसिल बॉक्स,**
प्लास्टिक पाउच, कैलक्यूलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉन्ग टेबल एलेक्ट्रोनिक पेन/ स्कैनर आदि।

ख) **मोबाइल फोन, ब्लू टूथ, ईयर फोन, माइक्रो फोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि जैसे संवाद उपकरण।**

ग) **अन्य वस्तुएँ जैसे गॉगल्स, हैंड बैग, हेयर पिन, हैयर बैंड, बेल्ट, कैप आदि।**

घ) **सभी प्रकार के आभूषण जैसे अंगूठी, ईयर रिंग्स, नोज़ पिन, चेन/ नेकलेस, पेंडेंट, बैच, ब्रोश, आदि की पूरी जांच की जाएगी।**

ङ) **कोई घड़ी, रिस्ट वॉच, कैमरा आदि**

च) **किसी प्रकार की धातु से बनी वस्तुएँ।**

छ) **खाने की वस्तुएँ, खुली अथवा पैक बंद, पानी की बोतलें आदि।**

ज) **कोई अन्य प्रकार की वस्तु जिसका उपयोग छिपाने जैसे अनुचित कारण के लिए किया जा सकता है जैसे कैमरा, ब्लू टूथ उपकरण आदि।**

इन निर्देशों का किसी प्रकार का उल्लंघन से उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा भविष्य में कंपनी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी जाएगी।

उम्मीदवारों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार का पाबंदी लगी वस्तु को परीक्षा स्थल पर नहीं लाएँ, क्योंकि उन वस्तुओं की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ई सी जी सी अथवा कोई अन्य एजेंसी जिसे ऑनलाइन परीक्षा आयोजित

करने का कार्य सौंपा जाएगा, द्वारा वस्तुओं की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी नहीं ली जाएगी। उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी स्वयं उम्मीदवारों की होगी।

<u>ज) अनाचरण / गलत पद्धति से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्यवाही</u>

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित के लिए सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय झूठे, गलत विवरण प्रस्तुत न करें तथा कोई आवश्यक जानकारी न छुपाएँ।

ऑनलाइन परीक्षा, साक्षात्कार या तत्पश्चात बाद के चयन प्रक्रिया के समय यदि उम्मीदवार निम्न के कारण दोषी पाया गया /यी :

(i) अनुचित प्रयास करते हुए, अथवा

(ii) किसी अन्य व्यक्ति के नाम अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर परीक्षा में उपस्थित रहना, अथवा

(iii) परीक्षा/ साक्षात्कार कक्ष में अनाचरण करते हुए अथवा परीक्षा की विषय वस्तु से संबन्धित कोई अन्य आंशिक अथवा पूरी जानकारी को प्रकट करते ,प्रकाशित करते, ट्रांसमीट करते, छिपाते हुए, अथवा ट्रांसमिशन तथा छिपाने में सहायता करने अथवा किसी अन्य उद्देशय से मौखिक, अथवा लिखित, इलेक्ट्रोनिकली अथवा मेकैनिकली परीक्षा से संबन्धित जानकारी उजागर करने हेतु, अथवा

(iv) उनकी उम्मीदवारी के संबंध में कोई अन्य अनियमित अथवा अनुचित कार्य करते हुए, अथवा

(v) अपने उम्मीदवारी के लिए अनुचित समर्थन प्राप्त करते हुए, अथवा

(vi) परीक्षा/ साक्षात्कार कक्ष में सम्प्रेषण उपकरण ले जाने पर, उम्मीदवार आपराधिक मुकदमे के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराते हुए निम्न के लिए जिम्मेदार होगा:

(क) उम्मीदवार को उनके द्वारा उपस्थित होने वाली परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(ख) ई सी जी सी द्वारा आयोजित की जाने वाली भावी परीक्षाओं में उन्हें स्थायी तौर पर अथवा अवधि विशेष के लिए अयोग्य साबित कर दिया जाएगा।

(ग) यदि उन्होंने कंपनी में पहले ही कार्य ग्रहण कर लिया है तो बिना किसी सूचना के उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा।

<u>महत्वपूर्ण सूचना :</u> ई सी जी सी व्यक्तिगत उम्मीदवारों के उत्तरों की तुलना अन्य उम्मीदवारों के उत्तरों के साथ कर सही व गलत उत्तरों के पैटर्न का विश्लेषण करेगा। यदि इस संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए विश्लेषण प्रक्रिया में यह पाया / साबित किया गया कि प्रतिक्रिया में एक दूसरे की नकल की गयी है तथा प्राप्तांक सही/ वैद्य नहीं हैं तो ई सी जी सी को अधिकार है कि वह संबन्धित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दे तथा इस प्रकार के उम्मीदवारों(अयोग्य) के परिणामों को जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी पुनः प्रस्तुति पर विचार नहीं किया जाएगा।

<u>झ)</u> <u>आमंत्रण पत्र</u>

ऑनलाइन परीक्षा व साक्षात्कार दोनों के लिए दिनांक व समय संबन्धित आमंत्रण पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।
पात्र उम्मीदवार अपने आमंत्रण पत्र को अपने विवरण यथा पंजीकरण सं तथा पास वर्ड / जन्म तारीख की प्रविष्टि करते हुए ई सी जी सी वेब साइट www.ecgc.in से डाउन लोड कर सकते हैं। पोस्ट/ कूरियर द्वारा कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी।

ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब के लिए आमंत्रण पत्र : मुख्य परीक्षा के लिए स्क्राइब हेतु अतिरिक्त आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा।
<u>सूचना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में पंजीकृत ई मेल आई डी तथा मोबाइल संख्या पर ही ईमेल तथा / अथवा एस एम एस के जरिये भेजी जाएगी।</u> मोबाइल संख्या, ई मेल पते, तकनीकी खराबी अथवा कंपनी के नियंत्रण के परे कोई अन्य कारण से यदि उम्मीदवार को जानकारी प्राप्त न हो / देरी से प्राप्त हो तो ई सी जी सी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। <u>उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे आगे दिशानिर्देशों के लिए प्राधिकृत ई सी जी सी वेब साइट www.ecgc.in पर नवीनतम अपडेटों पर नज़र रखें</u> साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय समय पर अपने पंजीकृत ई मेल को जाँचते रहें।

ञ) घोषणाएँ :
समय समय पर इस प्रक्रिया से संबन्धित सभी घोषणाएँ / विवरण ई सी जी सी के प्राधिकृत वेब साइट www.ecgc.in पर ही प्रकाशित/ प्रदान किए जाएँगे।

ट) अस्वीकरण

चयन प्रक्रिया में किसी भी अवस्था में यदि अपूर्ण जानकारी तथा/ अथवा उम्मीदवार द्वारा प्रक्रिया का उल्लंघन पाया तो उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य सिद्ध कर दिया जाएगा तथा उन्हें भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया में इस प्रकार की घटनाएँ सामने नहीं आई परंतु बाद में ज्ञात हुई तो बाद में पूर्व तारीख से अयोग्य सिद्ध करते हुए उम्मीदवार को निलंबित कर दिया जाएगा। परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया से संबन्धित म प्र (मासंवि), ई सी जी सी लिमिटेड द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण / निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होंगे।

ईसीजीसी लिमिटेड के पास बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उपरोक्त भर्ती को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

मुंबई **म.प्र.(मा.सं.वि.)**
दिनांक: 19.04.2023 **ईसीजीसी लिमिटेड**

<u>अनुबंध I</u>

दस्तावेज़ों को स्कैन करने एवं अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने के पहले उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वे अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अंगूठे का नमूना एवं निम्न निर्धारणों के अनुसार स्वलिखित घोषणा को स्कैन (डिजिटल) इमेज भी प्रस्तुत करें।

फोटोग्राफ ईमेज : (4.5cm × 3.5cm)

- फोटोग्राफ हाल का रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन हो, उसका बैक ग्राउंड हल्के रंग का हो, मुख्य रूप से सफ़ेद हो;
- सीधा देखें, चेहरे पर परेशानी न हो;
- यदि तेज़ सूरज की रोशनी में फोटो लिया गया हो तो सुनिश्चित करें कि सूरज आपके पीछे हो अथवा स्वयं को छाँव में रखें ताकि आपकी आँखें बंद होने से बचें एवं चेहरे पर तीव्र रोशनी न पड़े।
- यदि आपने फ्लैश का उपयोग किया है तो सुनिश्चित करें कि आँखें "लाल" न हों;
- यदि आप चश्मा लगाते हैं तो सुनिश्चित करें कि चश्मे पर किसी प्रकार की परछाई न पड़े एवं आपकी आँखें साफ दिखें;
- कैप, हैट एवं डार्क ग्लासेस का उपयोग मान्य नहीं हैं। धार्मिक पगड़ी स्वीकार्य है परंतु आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए;
- 200 x 230 पिक्सेल डाइमेनशन (स्वीकार्य)
- 20kb–50 kb के बीच की फाइल का आकार हो;
- सुनिश्चित करें कि स्कैंन्ड इमेज का आकार 50kb से अधिक न हो। यदि फाइल का आकार 50kb से अधिक हो तो

स्कैनिंग के समय डी पी आई रेजोल्यूशन, रंगों की सं आदि की स्कैनर की सेटिंग्स को अडजेस्ट करें;

हस्ताक्षर , बाएँ हाथ के अंगूठे का नमूना एवं हस्तलिखित घोषणा का इमेज :

 आवेदक को काले रंग के स्याही के पेन से सफ़ेद पेपर पर हस्ताक्षर करना होगा;

o 140 x 60 पिक्सेल डायमेंशन (अधिमान्य)

o 10kb – 20kb के बीच का आकार;

o स्कैंड इमेज का आकार 20kb से अधिक न हो;

 आवेदक को काली अथवा नीली स्याही से अपने बाएँ हाथ के अंगूठे के नमूने को सफ़ेद पेपर पर नमूना लगाना होगा;

o फाइल प्रकार: jpg / jpeg

o डायमेंशंस: 200 DPI में 240 x 240 पीक्सेल्स (आवश्यक क्वालिटी के लिए मान्य) यथा. 3 सें मी * 3 सें मी (चौड़ाई * ऊंचाई)

o फाइल आकार: 20 KB – 50 KB

 आवेदक को सफ़ेद पेपर पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से हिन्दी / अँग्रेजी में घोषणा करनी होगी।

o फाइल प्रकार: jpg / jpeg

o डायमेंशंस: 200 DPI में 800 x 400 पीक्सेल्स (आवश्यक क्वालिटी के लिए मान्य) यथा. 5 सें मी * 10सें मी (चौड़ाई * ऊंचाई)

o फाइल का आकार: 50 KB – 100 KB

 हस्ताक्षर, बाए हाथ के अंगूठे का नमूना एवं हस्त लिखित घोषणा केवल आवेदक की होनी चाहिए किसी अन्य व्यक्ति की नहीं।

 यदि परीक्षा के समय ऊमीद्वार द्वारा उपस्थिती पत्र अथवा कॉल लेटर पर किए गए हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षरों के साथ मेल न खाएं तो आवेदक को अमान्य किया जा सकता है;

दस्तावेज़ों की स्कैनिंग :

o स्कैनर रेजोल्यूशन को कम से कम 200 dpi (dots per inch) पर रखें;

o रंग को ट्रू कलर पर रखें;

o फाइल का आकार उक्त अनुसार हो;

o फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे के निशान / हाथ से लिखित घोषणा के किनारे पर स्कैनर में इमेज को क्रॉप करें, फिर इमेज को अंतिम आकार (ऊपर अनुसार) के आधार पर अपलोड एडिटर का उपयोग करें;

o इमेज फ़ाइल JPG अथवा JPEG प्रारूप का होना चाहिए। उदाहरण; एक फ़ाइल का नाम है: image01.jpg अथवा image01.jpeg, फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके अथवा फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस ले जाकर इमेज आयामों की जाँच की जा सकती है।

o MS Windows / MSOffice का उपयोग करने वाले उम्मीदवार MS Paint अथवा MSOffice Picture Manager का उपयोग करके आसानी से .jpeg प्रारूप में दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रारूप में स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को फ़ाइल मेनू में 'सेव ऐेज़ 'विकल्प का उपयोग करके .jpg / .jpeg प्रारूप में सेव किया जा सकता है। आकार को बदलने के लिए रीसाइज़ विकल्प का उपयोग किया जा सकता है;

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

o ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे के निशान एवं हाथ से लिखे गए नामांकन को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किया जाएगा।

o "फोटोग्राफ / हस्ताक्षर अपलोड करें / बाएं अंगूठे के निशान को अपलोड करें / हाथ से लिखित घोषणा को अपलोड करने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें;

o जहां स्कैन की गई तस्वीर / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखी गई घोषणा फ़ाइल को सेव किया गया है उस स्थान को ब्राउज़ एवं चयन करें;

o फ़ाइल का चयन करने के लिए उस पर क्लिक करें;

o ओपन / अपलोड 'पर क्लिक करें

o यदि फ़ाइल का आकार एवं प्रारूप निर्धारित नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

o अपलोड किए गए इमेज की पुनर्जाञ्च करने से इमेज की क्वालिटी की पहचान में मदद मिलेगी। अस्पष्ट / स्मज्ड होने की स्थिति में, उसी को फिर से अपेक्षित स्पष्टता / गुणवत्ता में अपलोड किया जा सकता है।

जब तक आप अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान एवं निर्धारित अनुसार हाथ से लिखी गई घोषणा को अपलोड नहीं करेंगे, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

नोट :

(1) फोटो अथवा हस्ताक्षर अथवा बाएं अंगूठे के निशान अथवा हाथ से लिखी गई घोषणा स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवार के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे के निशान / हाथ से लिखी घोषणा को अपलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को यह जांच करनी होगी कि इमेज स्पष्ट हैं एवं उन्हें सही तरीके से अपलोड किया गया है। फॉर्म को सबमिट करने के पहले, यदि फोटोग्राफ अथवा हस्ताक्षर अथवा बाएं अंगूठे का निशान अथवा हाथ से लिखी गई घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार अपने आवेदन को एडिट कर सकता है एवं अपनी फोटो अथवा हस्ताक्षर अथवा बाएं अंगूठे के निशान अथवा हाथ से लिखी घोषणा को फिर से अपलोड कर सकता है।

(३) उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित होगा कि फोटो हस्ताक्षर के स्थान पर फोटो एवं फोटो के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया है। यदि हस्ताक्षर के स्थान पर फोटो एवं फोटो के स्थान पर हस्ताक्षर किया गया हो तो, उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली फोटो आवश्यक आकार की हो एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

(5) यदि फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड नहीं किया गया है तो परीक्षा में उसकी प्रविष्टि नामंज़ूर कर दी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(6) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किया गया हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

(7) ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम से जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

<u>अनुबंध -II</u>

<u>स्व घोषणा</u>

हमें आपके स्वस्थ्य, सुरक्षा एवं स्वच्छता की चिंता है। आपके एवं स्थान में मौजूद सभी के हित एवं सुरक्षा को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया यह घोषित करें कि आप में निम्न में से कोई लक्षण नहीं हैं :

क □ (हाँ मुझे हैं) अथवा □ (नहीं मुझे नहीं है).

खांसी □

बुखार □

गले में खराश / नाक का बहना □

सांस लेने में दिक्कत □

शरीर में दर्द □

□ मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया / आयी हूँ जिसे कोविड 19 हुआ हो एवं पिछले 45 दिनों से मैं अनिवार्य क्वारंटाइन में नहीं हूँ

□ यदि मैंने कोविड 19 से संबन्धित कोई तथ्य छुपाए हों तो मुझ पर अन्यों को स्वास्थ्य जोखिम में डालने के लिए कानूनी प्रावधान के अधीन मुझ पर कार्यवाही की जा सकती है।

□ मुझे ज्ञात है कि ईसीजीसी ने परीक्षा केंद्र में सामाजिक दूरी एवं सैनिटाइजेशन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं मानदंडों का पालन किया है।

□ मुझसे इस स्व घोषणा को इस लिए भरवाया जा रहा है क्यों कि मेरे मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है।

□ मैं प्रमाणित करता / ती हूँ कि मैं पिछले 45 दिनों से कोविड -19 वाइरस के लिए पॉज़िटिव नहीं हूँ एवं न ही मैं उसका भावी वाहक हूँ।

उम्मीदवार का नाम : ____

उम्मीदवार का रोल नम्बर : ____

बैंक का नाम : ____

परीक्षा की तारीख : ____

परीक्षा केंद्र का नाम :____

उम्मीदवार के हस्ताक्षर ____

(यदि उम्मीदवार स्क्राइब की सेवाए ले रहे हैं यदि स्क्राइब के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं हो, तो स्क्राइब के लिए भी इस फॉर्म को भरा जाना चाहिए।)

<u>उम्मीदवार का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होने के दावे के प्रमाण के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र</u>

1. यह प्रमाणित किया है कि --------------------------- गाँव / कस्बे -------------------------------- जिला / मंडल ____________________ राज्य / संघ शासित क्षेत्र-------------------------------------- के श्री / श्रीमती / कुमारी ________________________________ श्री ------------------------------ के पुत्र / पुत्री ______________ जाति / जनजाति से संबंधित है। इसे निम्नलिखित के आधार पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है :

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950;

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950;

* संविधान (अनुसूचित जाति) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951;

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951;

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूचियों के अनुसार) आदेश, 1956; बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 एवं गोवा, दमन एवं दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987।]:

* संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;
* संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित
जनजाति आदेश, 1959 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित द्वारा संशोधित
ट्राइब्स ऑर्डर्स (संशोधन) अधिनियम, 1976;
* संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962;
* संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;
* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964;
* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;

* संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968,;
* संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968;
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
* संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991;
* संविधान (एसटी) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991;
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996;
* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002;
* संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002]।

2 एक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से पलायन कर दूसरे क्षेत्र में गए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, पर लागू।

यह प्रमाणपत्र, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ------------------- में स्थित , ग्राम / कस्बा ----------------------- ज़िला / प्रभाग -------------------------- के श्री / श्रीमती / कुमारी ------------------------------ के पिता / माता -------------------------- श्री / श्रीमती / कुमारी ----------------------------- को जारी किया गया है जो कि - ------------------- जाति / जनजाति में शामिल हैं को आदेश सं ------------------- दिनांक ------------------ के जरिये ---------------------------- (प्राधिकारी का नाम) द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है।

3.श्री / श्रीमती / कुमारी ---------------------------- तथा / या उनका परिवार सामान्यतया राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश --------------------- के ज़िला / प्रभाग ----------------------- के ग्राम / कस्बा के निवासी हैं

हस्ताक्षर ______________________

पदनाम ____________________

स्थान : [कार्यालयीन मोहर के साथ]

दिनांक : राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश

नोट: यहाँ प्रयुक्त शब्द "साधारण रूप से रहता है" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

---

* जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें.
# जो पैरा लागू न हो उसे काट दें.

<u>जाति / जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त अधिकारियों की सूची:</u>

1. जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / आई क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / एक्स्ट्रा-असिस्ट आयुक्त / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. तहसीलदार व उससे उच्च पद वाले राजस्व अधिकारी।

4. उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार एवं / अथवा उनका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।

नोट: प्रमाण पत्र समय-समय पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन / संशोधन के अधीन है

<u>भारत सरकार के अधीन पदों पर</u> नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश ------------------- ज़िला / प्रभाग --------------------- ग्राम / कस्बा ------------------- के निवासी श्री ------------------------ के पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती / कुमारी ------------------------------, ----------------------- समुदाय से संबन्धित हैं जिसे सामाजिक न्याय एवं शशक्तिकरण मंत्रालय के संकल्प सं ---------------------- दिनांक --------------------------- द्वारा जारी निर्देशों के अधीन पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है । श्री / श्रीमती / कुमारी ------------------- एवं उनका परिवार राज्य / केंद्रशासित प्रदेश ------------------- ज़िला / प्रभाग --------------------- ग्राम / कस्बा ------------------- के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के का ज्ञा सं 36012 / 22 / 93- अनु [एस सी टी], दिनांक 8-9-1993 के अनुसूची के कॉलम 3 में **उल्लिखित व्यक्तियों / अनुभागों (कृमि लेयर) में शामिल नहीं हैं।

दिनांक :

ज़िला मेजिस्ट्रेट
उपायुक्त आदि .

मोहर

- प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा , जिसमें उम्मीदवार की जाति का उल्लेख ओबीसी के रूप में किया गया है।

** - समय-समय पर संशोधित।

नोट: - "ऑर्डिनली" शब्द का यहाँ उपयोग करने का वही अर्थ होगा जो धारा 20of में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुसार है।

निर्धारित प्रोफार्मा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर संशोधन के अधीन होगा।

………………………. सरकार

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता)

आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय व आस्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं . …………

दिनांक : …………

वर्ष के लिए वैध …………

प्रमाणित किया जाता है कि इसके साथ संलग्न फोटो में दर्शाये गए श्री / श्रीमती / कुमारी , श्री ----------------------------- के पुत्र / पुत्री / पत्नी , ग्राम / मार्ग ------------------------ पोस्ट ऑफिस ---------------------------- ज़िला ------------------------ राज्य / केंशाप्र------------------------ पिन कोड ----------------- के स्थायी निवासी हैं , एवं ये आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं तथा वित्तीय वर्ष -------------- के लिए जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रु (आठ लाख रु) से कम है । उनके परिवार के पास निम्नलिखित आस्तियों*** में से कुछ उपलब्ध नहीं हैं

I. 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि योग्य भूमि

II. 1000 स्क्वेयर फीट अथवा उससे अधिक का आवासीय फ्लैट

III. मान्यता प्राप्त नगरपालिकाओं में 100 स्क्वेयर अथवा र्ड अथवा उससे अधिक का आवासीय प्लॉट

IV. मान्यता प्राप्त नगरपालिकाओं के अतिरिक्त कहीं स्थलों में 200 स्क्वेयर अथवा र्ड अथवा उससे अधिक का आवासीय प्लॉट

2. श्री / श्रीमती / कुमारी ----------------------, --------------------- जाति से संबन्धित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ी जाति (केन्द्रीय सूची) के अधीन मान्यता प्राप्त नहीं है।

मोहर सहित कार्यालय का नाम व हस्ताक्षर

नाम ----------------

पदनाम ---------------------

व्यक्ति का हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

* नोट 1: आय में सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं ।

** नोट 2: इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण चाहता है, एवं उस के माता-पिता, पति-पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन एवं 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे शामिल हैं।

*** नोट 3: ई डबल्यू एस स्थिति के निर्धारण के लिए स्थित " परिवार" के स्वामित्व वाली भूमि अथवा संपत्ति के स्वामित्व विभिन्न क्षेत्रों अथवा स्थानों / शहरों में संपत्ति को परीक्षण में शामिल किया गया है।

नोट :-

" निम्न में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा केवल उक्त उल्लिखित अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी आय एवं आस्ति प्रमाण पत्र को ही उम्मीदवार का " ई डबल्यू एस में शामिल " होने का दावा के रूप में मान्य होगा।

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट,

(iii) तहसीलदार के पद एवं उससे उच्च पद वाले राजस्व अधिकारी

(iii) उप-विभागीय अधिकारी अथवा वह क्षेत्र जहाँ सामान्य रूप से उम्मीदवार एवं / अथवा उसका परिवार रहते हैं।

फार्म - I

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(फॉर्म I एवं II में उल्लिखित मामलों के अलावा)

(समय-समय पर संशोधन के अधीन निर्धारित प्रोफ़ार्मा)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

प्रमाण पत्र सं :   दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इनकी ध्यानपूर्वक जांच की है ;

ऊपर संलग्न फोटो में दिखने वाले श्री / श्रीमती। / कुमारी ------------------------------ श्री------------------------------ के पुत्र / पत्नी / पुत्री, जन्म तारीख (दि / मा / वर्ष) -------------------------- आयु ------------------------, पुरुष / महिला ----------------- पंजीकरण सं ----------------------- वार्ड / ग्राम / मार्ग -----------------, पोस्ट ऑफिस ------------------------------- राज्य ----------------के निवास सं --------------------- के स्थायी निवासी हैं एवं मैं पुष्टि करता हूँ कि:

(क) इनका मामला :

- लोकोमोटर विकलांगता
- बौनापन
- दृष्टिहीनता

(जो भी लागू हो उस पर अंकित करें)

(ख) उनके मामले का निदान __________

(अ) वे दिशानिर्देशों के अनुसार (---------------------- सं एवं निर्धारित दिशानिर्देश जारी करने की तारीख ---------------) के अनुसार उनके (शरीर का हिस्सा) ---------------------- के संबंध में ------------------------------ % (आंकड़ों में) प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी लोकोमोटर दिव्यांगता / बौनापन / से ग्रस्त हैं।

2. आवास के सबूत के तौर पर आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं:-

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर)

संबन्धित व्यक्ति जिसके लिए दिव्यांग्ता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है उसके हस्ताक्षर / अंगूठा नमूना

फार्म - II
दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(बहु दिव्यांगता के मामले में)
(समय-समय पर संशोधन के अधीन निर्धारित प्रोफ़ार्मा)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

प्रमाण पत्र सं : दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इनकी ध्यानपूर्वक जांच की है ;

ऊपर संलग्न फोटो में दिखने वाले श्री / श्रीमती। / कुमारी ------------------------------- श्री------------------------------- के पुत्र / पत्नी / पुत्री, जन्म तारीख (दि / मा / वर्ष) -------------------------- आयु ------------------------, पुरुष / महिला ----------------- पंजीकरण सं ----------------------- वार्ड / ग्राम / मार्ग ----------------- , पोस्ट ऑफिस ----------- -------------------- राज्य ----------------के निवास सं ---------------------- के स्थायी निवासी हैं एवं मैं पुष्टि करता हूँ कि:

(क) इनका मामला -------------------------- बहु दिव्यांगता का मामला है। उनकी शारीरिक दुर्बलता / दिव्यांगता का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया है (---------------------- सं एवं तारीख को जारी दिशानिर्देशों के आधार पर) एवं जिसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाये संगत दिव्यांगता पर दर्शाया गया है:

क्र सं	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावी हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक कमजोरी / मानसिक विकलांगता (% में)
1	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्विकास			
3	निवारित कुष्ठ रोग			
4	बौनापन			
5	मस्तिष्क पक्षाघात			
6	एसिड अटैक विक्टिम			
7	कम दृष्टि	#		
8	दृष्टिहीनता	#		
9	बहरापन	€		
10	सुनने में दिक्कत	€		
11	भाषण एवं भाषा विकलांगता			
12	बौद्धिक अक्षमता			
13	विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटी			
14	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर			
15	मानसिक बीमारी			
16	जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां			

17	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18				
19	हीमोफीलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

(ख) उक्त को देखते हुए, दिशानिर्देशों के आधार पर (---------------- सं एवं तारीख को जारी निर्देशों) उनके सभी स्थायी शारीरिक दुर्बलता निम्नानुसार है :-

आंकड़ों में :- ------------------------------ प्रतिशत

शब्दों में :- ------------------------------ प्रतिशत

2. उक्त स्थिति प्रगतिशील / गैर-प्रगतिशील / सुधार की संभावना / सुधार की संभावना नहीं।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं,

या

(ii) ------------------------ वर्षों -------------------------- माहों के पश्चात सिफ़ारिश की जाती है अतः यह प्रमाणपत्र -----

---------------- (दि / ता/ वर्ष) तक वैध है।

@ - उदा बाएँ / दायें / दोनों हाथ / पैर

- उदा एक आँख / दोनों आँखें

£ - उदा - बाएँ / दायें / दोनों कान

4. आवास के सबूत के तौर पर आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं:-

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर

सदस्य का नाम एवं मोहर	सदस्य का नाम एवं मोहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

संबन्धित व्यक्ति जिसके लिए दिव्यांग्ता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है उसके हस्ताक्षर / अंगूठा नमूना

फार्म - III

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(फॉर्म I एवं II में उल्लिखित मामलों के अलावा)

(समय-समय पर संशोधन के अधीन निर्धारित प्रोफ़ार्मा)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

प्रमाण पत्र सं :   दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इनकी ध्यानपूर्वक जांच की है ;

ऊपर संलग्न फोटो में दिखने वाले श्री / श्रीमती। / कुमारी ------------------------------ श्री------------------------------- के पुत्र / पत्नी / पुत्री , जन्म तारीख (दि / मा / वर्ष) -------------------------- आयु ------------------------, पुरुष / महिला ----------------- पंजीकरण सं ----------------------- वार्ड / ग्राम / मार्ग ----------------- , पोस्ट ऑफिस ------------------------------- राज्य ----------------के निवास सं ---------------------- के स्थायी निवासी हैं एवं मैं पुष्टि करता हूँ कि इनका मामला -------------------------- दिव्यांगता का मामला है। उनकी शारीरिक दुर्बलता / दिव्यांगता का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया है (----------------------- सं एवं तारीख को जारी दिशानिर्देशों के आधार पर) एवं जिसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाये संगत दिव्यांगता पर दर्शाया गया है:

क्र सं	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावी हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक कमजोरी / मानसिक विकलांगता (% में)
1	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2	मांसपेशीय दुर्विकास			
3	निवारित कुष्ठ रोग			
4	मस्तिष्क पक्षाघात			
5	एसिड अटैक विक्टिम			
6	कम दृष्टि			
7	बहरा	#		
8	सुनने में दिक्कत	#		
9	भाषण एवं भाषा विकलांगता	€		
10	बौद्धिक अक्षमता	€		
11	विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटी			
12	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर			
13	मानसिक बीमारी			
14	जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां			
15	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16	परकिनसन्स रोग			

17	हीमोफीलिया			
18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

(कृपया उस दिव्यांगता को काट दें जो लागू नहीं है।)

2. उक्त स्थिति प्रगतिशील / गैर-प्रगतिशील / सुधार की संभावना / सुधार की संभावना नहीं।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं,

या

(ii) ------------------------- वर्षों --------------------------- माहों के पश्चात सिफ़ारिश की जाती है अतः यह प्रमाणपत्र -----
---------------- (दि / ता/ वर्ष) तक वैध है।

@ - उदा बाएँ / दायें / दोनों हाथ / पैर

- उदा एक आँख / दोनों आँखें

£ - उदा - बाएँ / दायें / दोनों कान

4. आवास के सबूत के तौर पर आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं:-

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के विवरण

मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मोहर)

प्रतिहस्ताक्षर

(यदि किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है तो सरकारी अस्पताल के सी एम ओ / मेडिकल सुप्रीडेंटेण्ड / प्रमुख के मोहर सहित प्रति हस्ताक्षर)

संबन्धित व्यक्ति जिसके लिए दिव्यांग्ता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है उसके हस्ताक्षर / अंगूठा नमूना